अध्याय - I

विहंगावलोकन

अध्याय-I

विहंगावलोकन

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली के पास दोहरा अधिकार क्षेत्र अर्थात संघ सरकार एवं राज्य सरकार जैसी एक प्रशासनिक संरचना है। दिल्ली में 11 जिले तथा 33 उप मंडल हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली 1,483 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से 1,114 वर्ग कि.मी. शहरी तथा 369 वर्ग कि.मी. ग्रामीण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा **तालिका 1.1** में दी गयी है:

तालिका 1.1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

क्र.स.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		1,483 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क.	जनसंख्या (2011 जनगणना)	1.70 करोड़
	ख.	जनसंख्या 2022	2.10 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 01.03.2022 को अनुमानित जनसंख्या) (अखिल भारत का घनत्व = 418.43 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		14,137 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बीपीएल) 2011-12 (अखिल भारत का औसत = 21.92 *प्रतिशत*)		9.91 *प्रतिशत*
5	साक्षरता (आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22) (अखिल भारत का औसत= 73.00 *प्रतिशत*)		86.20 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु दर (2020) (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारत का औसत= प्रति 1000 जन्म पर 28)		12
7	जन्म के समय जीवन की उम्मीद (2015-19) (अखिल भारत का औसत = 69.7 वर्ष)		75.9 वर्ष
8	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2021-22		₹ 9,23,966.57 करोड़
9	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी/जीडीपी सीएजीआर (2012-13 से 2021-22)	रा.रा.क्षे.दिल्ली	7.84 *प्रतिशत*
		अखिल भारत	8.86 *प्रतिशत*
10	स.रा.घ.उ./स.घ.उ./ सीएजीआर (2012-13 से 2021-22)	रा.रा.क्षे.दिल्ली	10.01 *प्रतिशत*
		अखिल भारत	10.11 *प्रतिशत*
11	जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2022)	12.12 *प्रतिशत* (अखिल भारत)	22.13 *प्रतिशत*

स्रोत: जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा भारत एवं इसके राज्यों की जनसंख्या अनुमान 2011-2036, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की वेबसाईट, आर्थिक सर्वे 2021-22, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) बुलेटिन, एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2015-19, दिल्ली के 2021-22 के राज्य घरेलु उत्पाद का अनुमान, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स., राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और जनगणना 2011.

1.1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) एक दी गई समयावधि में राज्य की सीमाक्षेत्र के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय के साथ राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ.[1] में प्रवृत्तियां, स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान तथा स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि में परिवर्तन क्रमशः **तालिका 1.2, चार्ट 1.1** तथा **चार्ट 1.2** में दिये गये हैं

तालिका 1.2: स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ. (2011-12 श्रंखला)	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
विगत वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	11.03	10.59	6.22	(-)1.36	19.51
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	6,77,900	7,38,389	7,94,030	7,85,342	9,23,967
विगत वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	10.03	8.92	7.54	-1.09	17.65

स्रोत: एमओएसपीआई वेबसाइट एवं आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने में भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है।

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ. के लिए क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2017-18 से 2021-22)[2]

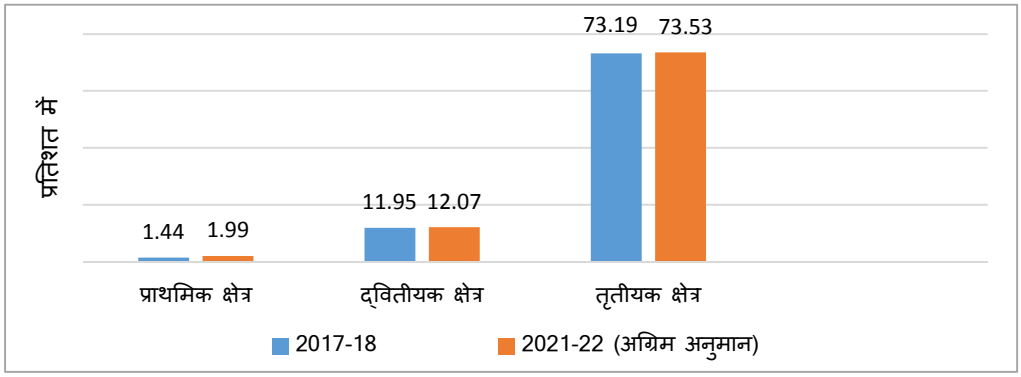

स्रोत: 2021-22 के दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

[1] वर्तमान मूल्यों पर

[2] उत्पाद पर करों की हिस्सेदारी को छोड़कर माइनस सब्सिडी (2017-18 में 11.32 *प्रतिशत* और 2021-22 में 12.40 *प्रतिशत*)

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि

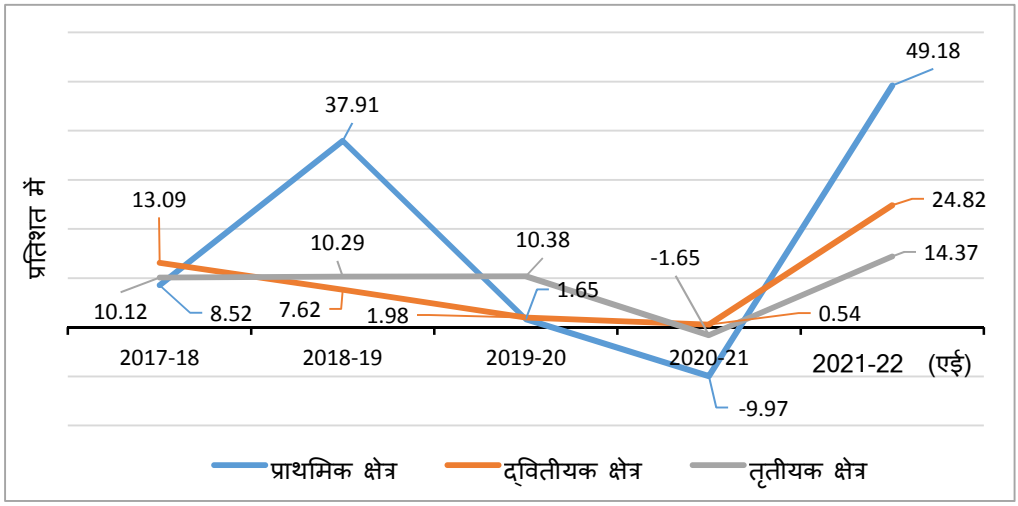

स्रोत: 2021-22 के दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 1.1 और **चार्ट 1.2** से स्पष्ट है कि तृतीयक (सेवा) क्षेत्र राज्य के स.रा.घ.उ. में सबसे बड़ा योगदान कर्ता (73.53 *प्रतिशत*) था, इसके बाद द्वितीयक (उद्योग) क्षेत्र (12.07 *प्रतिशत*) था। पिछले वर्ष के दौरान मंदी के बाद 2021-22 में सभी क्षेत्रों में विकास दर में वृद्धि हुई थी। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजस्व अधिशेष में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,820 करोड़ (125.51 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, जैसा कि इस प्रतिवेदन के **पैराग्राफ 1.5** और **अध्याय** II में वर्णित है।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़ों को तैयार करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों और आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- स.रा.घ.उ. तथा राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम; और

- भारत के नि.म.ले.प. के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विश्लेषण/टिप्पणी के लिए उपयुक्तता के अनुरूप उपयोग किया गया है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मसौदा पर टिप्पणी हेतु दिसम्बर 2022 में भेज दिया गया था। सरकार के उत्तर, जहां प्राप्त हुए हैं, उन्हें उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना निम्नलिखित पांच अध्यायों में की गई है:

अध्याय– I	**विहंगावलोकन** यह अध्याय प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म-वित्तीय विश्लेषण तथा घाटा/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
अध्याय– II	**राज्य के वित्त** यह अध्याय रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखों पर आधारित रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण रूपरेखा का विश्लेषण करता है।
अध्याय– III	**बजटीय प्रबंधन** यह अध्याय रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन और आवंटित प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर विवरण प्रस्तुत करता है।
अध्याय – IV	**लेखा की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली** यह अध्याय रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखा की गुणवत्ता और रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय – V	**राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम** यह अध्याय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र-उपक्रमों के कामकाज पर टिप्पणी करता है।

1.4 सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखा को दो भागों में रखा जाता है:

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समेकित निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा (46))

इस निधि में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त ऋण दिए गए सभी अनुदान तथा ऋण के पुनर्भुगतान में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा

प्राप्त सभी धन शामिल हैं। कानून के अनुसार और उद्देश्यों के लिए तथा अधिनियम में दिए गए तरीके के अलावा इस निधि से कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की आकस्मिक निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा (47))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून द्वारा स्थापित किया जाता है, और यह उपराज्यपाल के नियंत्रण में होता है जो उन अग्रिमों को स्वीकृत करने के लिए, जो किसी ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा उन व्यय को अधिकृत किया जाना लंबित हो, को पूरा करने हेतु सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। चूंकि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए अलग से कोई लोक लेखा नहीं है इसलिए लोक लेखा से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचंत) का केन्द्रीय सरकार के लोक लेखा में विलय हो जाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. का अंतिम शेष केन्द्र सरकार के सामान्य नकद शेष में समायोजित होता है और सरकार के पास जमा राशि के रूप में माना जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय देयताओं में बड़े पैमाने पर लघु बचत संग्रह का हिस्सा शामिल है।

दिल्ली केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती है तथा यह केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के बदले में सहायता अनुदान प्राप्त करती है।

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कर राजस्व, गैर-कर राजस्व एवं भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनका परिणाम भौतिक या वित्तीय संपति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए खर्चों और विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा ऋण पर किया गया ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए सहायता अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान संपत्ति निर्माण के लिए हो सकता है) उपलब्ध कराने से संबंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण और अग्रिम की वसूली, भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्राप्तियां और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल है।

पूंजीगत व्यय को मोटे तौर पर भौतिक और स्थायी चरित्र की ठोस संपत्तियों को बढ़ाने के उद्घेश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, सा.क्षे.उ. में निवेश पर व्यय शामिल हैं।

चार्ट 1.3: रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी लेखे की संरचना

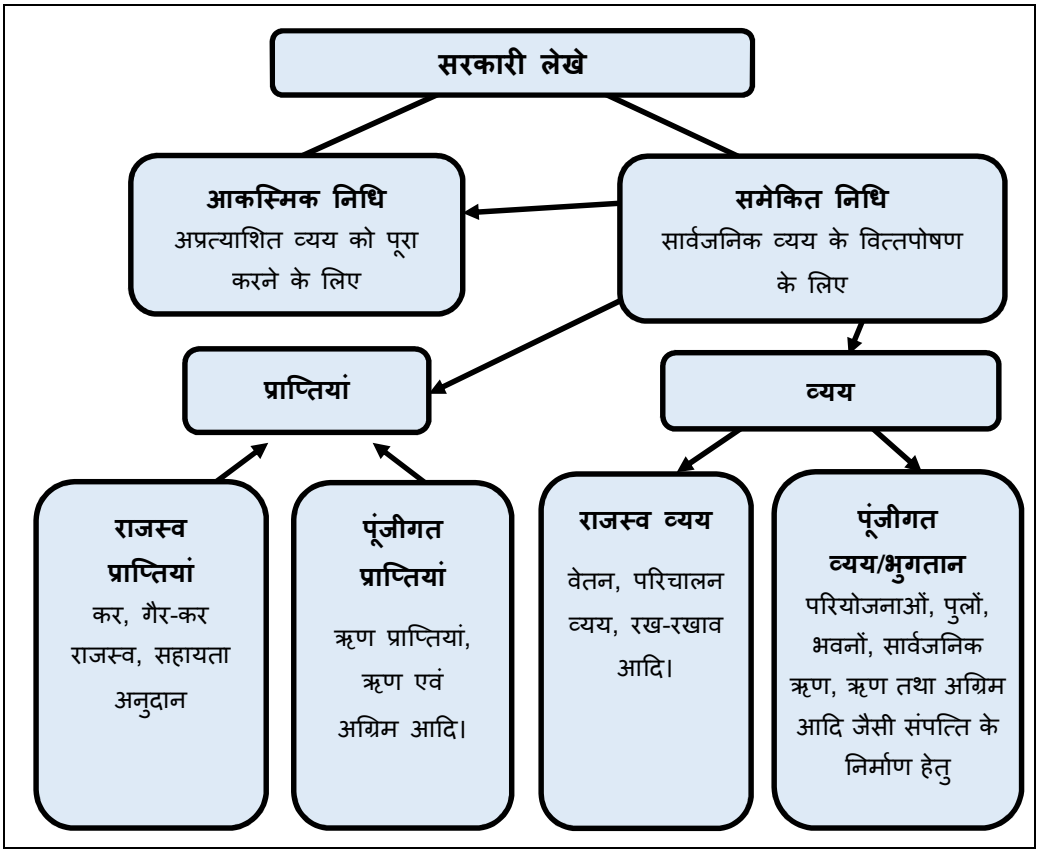

बजटीय प्रक्रियाएं

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम 1991, की धारा 27 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, विधानमंडल के समक्ष, उस वर्ष के लिए पूंजी की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत कराएगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, अनुदानों/विनियोजन की मांग के रूप में विवरण राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और उसके अनुमोदन के पश्चात, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत समेकित निधि से आवश्यक धनराशि के विनियोजन के लिए विनियोजन विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा रा.रा.क्षे.दि.स. की अन्य बजटीय पहल के क्रियान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** में दिए गए है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमानों और वास्तविक तथा 2020-21 के वास्तविक की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ संपूर्ण राजकोषीय स्थिति के विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिये गये हैं।

तालिका 1.3: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2020-21 वास्तविक	2021-22			
			बजट अनुमान	वास्तविक	ब.अ. से वास्तविक की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	29,425	43,000	40,019	93.07	4.33
2	गैर-कर राजस्व	980	1,000	827	82.70	0.09
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	11,459	9,070	8,467	93.35	0.92
4	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**41,864**	**53,070**	**49,313**	92.92	5.34
5	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	631	1,000	623	62.30	0.07
6	अन्य प्राप्तियां	-		-		
7	उधार एवं अन्य देयताएं (क)	6,708	9,285	7,021	75.62	0.09[3]
8	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)**	**7,339**	**10,285**	**7,644**	74.32	0.83
9	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**49,203**	**63,355**	**56,957**	89.90	6.16
10	**राजस्व व्यय, जिसका**	**40,414**	**51,799**	**46,043**	88.89	4.98
11	- ब्याज भुगतान	2,874	3,334	3,274	98.20	0.35
12	**पूंजीगत व्यय**	4,699	10,557	8,311	78.73	0.90
13	- ऋण एवं अग्रिम	4,090	2,378	2,603	109.46	0.28
14	**कुल व्यय (10+12+13)**	**49,203**	**64,734**	**56,957**	87.99	6.16
15	**राजस्व अधिशेष (4-10)**	**1,450**	**1,271**	**3,270**	257.28	0.35
16	**राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-14}**	**(-) 6,708**	**(-) 10,664**	**(-) 7,021**	65.84	-0.76
17	**प्राथमिक अधिशेष (16+11)**	**(-) 3,834**	**(-) 7,330**	**(-) 3,747**	51.12	-0.41

(क) उधार तथा अन्य देयताएं:, सार्वजनिक ऋण का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) और भारत सरकार के नगद शेष के साथ मिले हुए आरंभिक एवं अंतिम नगद शेष का निबल। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रभावी उधारियाँ तथा अन्य देयताएं क्रमशः ₹ 843 करोड़ और ₹ 828 करोड़ हो जाएंगी क्योंकि व्यय विभाग, भा.स. ने निर्णय लिया था कि ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गई ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ क्रमशः वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की जीएसटी मुआवजा को ऐसे किसी मानक के लिए जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

जीएसटी मुआवजा, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अधीन राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी मुआवजा निधि में अपर्याप्त शेष के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 7,230 करोड़ की जीएसटी मुआवजा प्राप्त होने के अलावा दिल्ली ने राज्य की पुनर्भुगतान देयता के बिना रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 6,193 करोड़ का

[3] ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 6,193 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को हटाने के बाद आया

बैक टू बैक ऋण भी प्राप्त किया। इस व्यवस्था के कारण ₹ 3,270 करोड़ के राजस्व अधिशेष तथा ₹ 7,021 करोड़ के राजकोषीय घाटे को जीएसटी की कमी के एवज में ₹ 6,193 करोड़ की ऋण प्राप्तियों के साथ पढ़ा जा सकता है।

1.4.2 सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र

मौजूदा सरकारी लेखा प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों जैसी अचल संपत्तियों का व्यापक लेखा-जोखा नहीं किया जाता है। हालांकि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित संपत्ति शामिल होती हैं। संपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। देयताओं में केवल भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संपत्ति और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है:

तालिका 1.4: संपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					संपत्तियां				
		2020-21	**2021-22**	***प्रतिशत* वृद्धि**			**2020-21**	**2021-22**	***प्रतिशत* वृद्धि**
समेकित निधि									
क	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	46,867	53,844*	14.89	क	सकल पूंजीगत व्यय	74,984	83,294	11.08
ख	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए पूंजीगत परिव्यय का शेष	1,588	1,588	0	ख	ऋण व अग्रिम	70,473	72,454	2.81
ग	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए ऋण एवं अग्रिम का शेष	3,356	3,356	0	ग	भारत सरकार के सामान्य नगद शेष में अंतिम नगद शेष का विलय	11,393	11,349	-0.39
घ	राजस्व लेखा में संयमी अधिशेष	1,05,039	1,08,309	3.11					
कुल		**1,56,850**	**1,67,097**		**कुल**		**1,56,850**	**1,67,097**	

नोट: 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 को क्रमशः ₹ 74,984 करोड़ तथा ₹ 83,294 करोड़ की संपत्ति में सकल पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,588 करोड़ की राशि शामिल है जिसे 1994-95 के दौरान लेखा महानियंत्रक कार्यालय से लिया गया था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 को संपत्ति के पक्ष में दर्शाए गए ऋण और अग्रिम क्रमशः ₹ 70,473 करोड़ और ₹ 72,454 करोड़ थे जिसमें 1994-95 के दौरान लेखा महानियंत्रक कार्यालय से लिय गया ₹ 3,356 करोड़ शामिल थे।

* इसमें 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार से जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ का बैक टू बैक ऋण शामिल है जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।

1.5 अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां

चार्ट 1.4 एवं **1.5** 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटे के संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: 2017-18 से 2021-22 की अवधि की समाप्ति पर अधिशेष/घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां

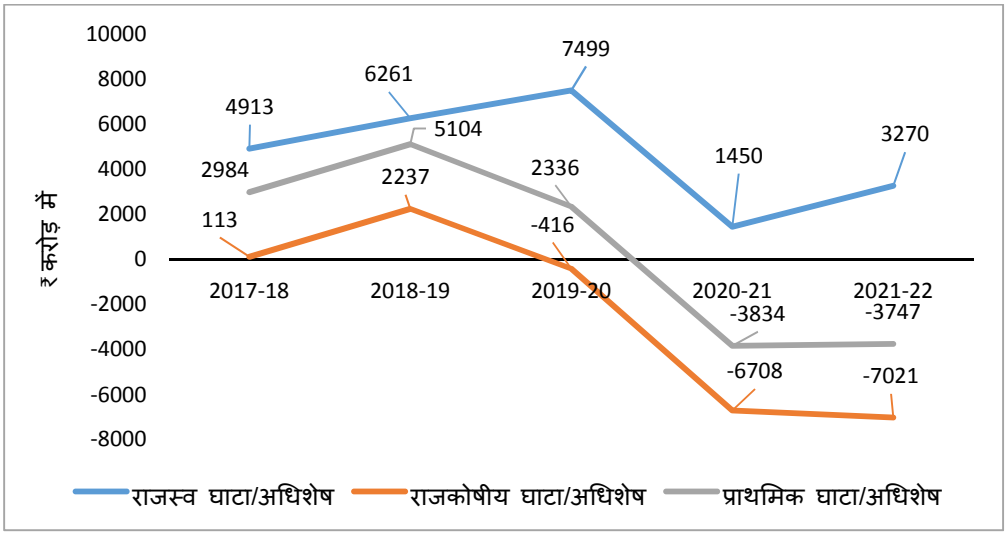

चार्ट 1.5: 2017-18 से 2021-22 की अवधि की समाप्ति पर स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां

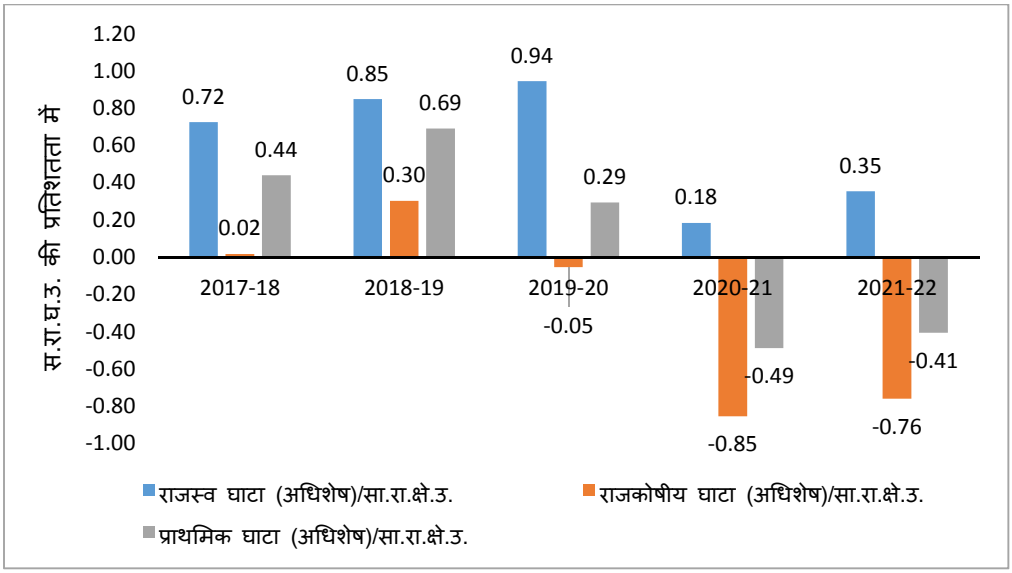

चार्ट 1.4 से देखा जा सकता है कि, राजकोषीय अधिशेष 2017-18 में ₹ 113 करोड़ से बढ़कर 2018-19 के दौरान ₹ 2,237 करोड़ हो गया जो 2019-20 के दौरान ₹ 416 करोड़ के घाटा और 2020-21 के दौरान ₹ 6,708 करोड़ के घाटे में बदल गया, जो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के कुल योग ₹ 45,113 करोड़ (2020-21) में (20.48 *प्रतिशत*) वृद्धि के कारण ₹ 54,354 करोड़ (2021-22) हो गया, जो पुनः 2021-22 के दौरान ₹ 7,021 करोड़ के घाटे में बदल गया। 2020-21 में स.रा.घ.उ. के (-) 0.85 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा के प्रति 2021-22 में स.रा.घ.उ. के (-) 0.76 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा रहा।